# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

| प्रा0पत्र संख्या | रजि0 नम्बर | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 15/13/2020 | 2020/00101 | 14–12–2020 | 08–02–2021 |

1– मुकेश पुत्री श्रीमति सरबती जाति अहीर निवासी ग्राम धारण की ढ़ाणी तहसील बावल जिला रेवाड़ी हरियाणा।

–प्रार्थी

बनाम

1– रामसिंह
2– सुमेरसिंह
3– रामावतार
4– नरेश कुमार पुत्रान् श्री सोहन जातियान अहीर निवासीयान सानोली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।
5– सुरेन्द्र
6– श्योशेन्द्र पुत्रान् श्रीमति सरबती जाति अहीर निवासी ग्राम धारण की ढ़ाणी तहसील बावल जिला रेवाड़ी हरियाणा।
7– लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान।

–अप्रार्थीगण

## प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री जनार्दन शर्मा –वकील प्रार्थी
02. श्री पूरण सिंह यादव –वकील अप्रार्थीगण

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के न्यायालय में विचाराधीन मुकदमा बअनुवान मुकेश बनाम रामसिंह आदि को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई। विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 रा0का0अधि0 का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के यहां विचाराधीन है। जिसमें आगामी पेशी दिनांक 04.12.2020 नियत है। उक्त वाद कानूनी प्रावधानों के तहत अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया, वाद में विवादित आराजी प्रार्थीनी की मां श्रीमति सरबती देवी की आराजी है, जो ग्राम सानोली तहसील मुण्डावर में स्थित है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी में प्रार्थीनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 5 व 6 के हिस्से की आराजी शेष प्रतिवादी सं0 1 लगा0 4 ने विधि विरूद्ध राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाया हुआ है। प्रार्थीनी ने अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम दुरूस्त करवाने हुतु वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया हुआ है। प्रतिवादी सं0 1 लाग0 4 द्वारा उक्त वाद को खारिज कराने एवं प्रार्थीनी के अधिकारों को समाप्त करने की नियत से प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत पेश किया हुआ है। उक्त वाद में बहुत छोटी–छोटी पेशीयां दी जा रही है। अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं0 1 लगा0 4 द्वारा प्रार्थीनी को तारीख पेशीयों पर धमकी दी जाती है कि वाद वादी हर सूरत में खारिज करवाकर रहेंगे। पीठासीन अधिकारी द्वारा गत पेशीयों पर प्रा0पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी की बहस सुनने के लिए दबाव बनाया गया तथा खुले न्यायालय में जाहिर किया कि यह वाद चलने योग्य नहीं है। इस तारीख तक हर सूरत में

8/4/21

प्रा0पत्र का निर्णय कर दिया जावेगा। पीठासीन अधिकारी का उक्त व्यवहार भी प्रार्थीनी को भय पैदा करता है। अप्रार्थीगण सं0 1 लगा0 4 राजनीतिक पहूंच रखने वाले व्यक्ति है तथा स्थानीय है जबकि प्रार्थीनी अपने अधिकारों को प्राप्त करने हेतु हरियाणा प्रांत से आकर मुकदमें की पैरवी करती है। अतः प्रार्थी का वाद उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के न्यायालय से किसी अन्य न्यायालय मुन्तकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद लगभग 04 वर्ष से विचाराधीन है। वकील अप्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद दीगर न्यायालय में मुन्तकिल करने हेतु अपनी सहमति जाहिर की गई तथा वाद का शीघ्र निस्तारण हेतु निवेदन किया गया।

हमनें पत्रावली व प्रार्थी वकील द्वारा पेश दस्तावेंजात एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। वकील प्रार्थी व अप्रार्थीगण द्वारा भी दोराने बहस यह निवेदन किया है उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में विचाराधीन प्रकरण को किसी भी अन्य न्यायालय मे मुन्तकिल कर दिया जावे। अतः प्रार्थना पत्र बाबत मुन्तकिल स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र बाबत मुन्तकिल स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में विचाराधीन पत्रावली बअनुवान मुकेश बनाम रामसिंह आदि को उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़–बास मे स्थानान्तरित किया जाता है तथा उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर को आदेशित किया जाता है कि उक्त विचाराधीन पत्रावली बअनुवान मुकेश बनाम रामसिंह आदि को उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़–बास मे अविलम्ब स्थानान्तरित करें। उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़–बास को निर्देशित किया जाता है कि उक्त वाद का निस्तारण 01 माह में किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर व उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़–बास को पालनार्थ भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

**निर्णय आज दिनांक 08–02–2021 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

8/2/21

**(कमलराम मीना)**
**अतिरिक्त जिला कलक्टर**
**(द्वितीय) अलवर (राज0)**